क्रम संख्या–184 पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 354 / XXXVI (3) / 2018 / 70(1) / 2018

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 34, वर्ष– 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराख़ण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 34, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह अधिनियम "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018)" के प्रवृत्त होने के समय से लागू माना जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 की धारा 7 की उपधारा (1) में "तैंतीस गुने" शब्द के स्थान पर "साढे सोलह गुना" शब्द रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा ने राज्य के कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक लाभ एवं पारिवारिक पेंशन सम्बन्धित अधिकारों को संरक्षित करने के लिये उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया है, जिसकी धारा 7 की उपधारा (1) में सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा को मासिक परिलब्धियों के "**तैतीस गुने**" के स्थान पर "**साढ़े सोलह गुना**" किया जाने के सम्बन्ध में अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0(आर0ई0) 59 विधायी/603–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।